उत्तर प्रदेश शासन

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–8

संख्या–पुन-1016/आठ–8–2023–78पुन/2019

लखनऊः दिनांकः 26 दिसम्बर, 2023

मै0 हिण्डन इन्फ्रावेंचर प्रा0लि0, पुनरीक्षणकर्ता

बनाम

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण विपक्षीगण
गाजियाबाद।

निर्णय

प्रश्नगत पुनरीक्षणवाद मै0 हिण्डन इन्फ्रावेंचर प्रा0लि0, कारपोरट आफिस गोल्फ लिंकस, एन0एस0–24, नियर कालम्बिया एशिया होस्पिटल, ग्राम महरौली, परगना डासना, तहसील व जिला–गाजियाबाद द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी/निगरानीकर्ता श्री उपेन्द्र कुमार द्वारा उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा–41(3) के अन्तर्गत गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद के आदेश दिनांक 22.10.2014 व दिनांक 26.11.2015 एवं आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ के आदेश दिनांक 01.10.2018 के विरूद्ध शासन में योजित करते हुये उक्त आदेश को निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

सुनवाई के दौरान मै0 हिण्डन इन्फ्रावेंचर प्रा0लि0 के पत्र दिनांक 12.12.2023 द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रार्थी कम्पनी हिण्डन इन्फ्रावेंचर प्रा0लि0 ने उक्त पुनरीक्षणवाद वर्ष 2019 में दाखिल किया था। पुनरीक्षणवाद की सुनवाई न होने तथा हाईटैक टाउनशिप की डी0पीआर0 में भूमि होने के कारण व मानचित्र स्वीकृत न हो पाने के कारण प्रार्थी कम्पनी की भूमि निष्प्रयोज्य थी इसलिए प्रार्थी कम्पनी द्वारा भूमि के विक्रय किया जा चुका है। अतः प्रार्थी कम्पनी उक्त पुनरीक्षणवाद को आगे नहीं चलाना चाहती।

2. पत्रावली प्रस्तुत हुई। पत्रावली पर रक्षित तथ्यों, साक्ष्यों, अभिलेखों एवं मै0 हिण्डन इन्फ्रावेंचर प्रा0लि0 के पत्र दिनांक 12.12.2023 का सम्यक परिशीलन किया गया। उक्त पत्र के माध्यम से पुनरीक्षणकर्ता द्वारा आगे कार्यवाही न किये जाने अनुरोध किया गया है। इन परिस्थितियों के आलोक में वाद की कार्यवाही को प्रचलित रखने का औचित्य न होने के कारण उक्त पुनरीक्षणवाद की कार्यवाही समाप्त किये जाने योग्य है।

आदेश

उपरोक्त विवेचना के आलोक में प्रश्नगत पुनरीक्षणवाद में पुनरीक्षणकर्ता द्वारा आगे कार्यवाही न किये जाने के अनुरोध के क्रम में उक्त पुनरीक्षणवाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति समस्त संबंधित पक्षों को प्रेषित की जाय। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल–दफ्तर हो।

(रणवीर प्रसाद)
सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद
2. मै0 हिण्डन इन्फ्रावेंचर प्रा0लि0, कारपोरट आफिस गोल्फ लिंकस, एन0एस0–24, नियर कालम्बिया एशिया होस्पिटल, ग्राम महरौली, परगना डासना, तहसील व जिला–गाजियाबाद **द्वारा** उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद।
3. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(रणवीर प्रसाद)
सचिव।